

अधिसूचना
सं० 15/2016-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सा०का०नि० (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 107 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त खंड के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा०सं० 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार